सेटेलाइट रिमोट सेन्सिंग तथा जी0आई0एस0 तकनीकों से भूमि उपयोग, नगरीय सर्वेक्षण एवं परिसम्पत्तियों का प्रबन्धन

रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेंटर उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के विकास प्राधिकरण/नगरीय निकाय/नगर निगम एवं अन्य विभागों के लिये उपग्रहीय चित्रों तथा कम्प्यूटर आधारित भौगोलिक सूचना तंत्र (जी0आई0एस0) आधारित नगरीय क्षेत्रों की मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के अन्तर्गत प्रत्येक विकास प्राधिकरण में अनाधिकृत कालोनियों की मैपिंग, प्राधिकरणों में लागू महायोजना, योजनाएँ एवं प्राधिकरण के अन्तर्गत समस्त भूमि के मानचित्रों की जियोरिफरेन्सिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। इस मैपिंग कार्य से प्राधिकरणों एवं सम्बन्धित विभागों को भविष्य की योजनाओं एवं प्रस्तावित महायोजना के वृहदीकरण में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राधिकरण के अन्तर्गत किसी भी योजना/ग्राम के प्रत्येक भूमि खण्ड/सजरा की सूचना जैसे कि खसरा नं0, प्रस्तावित भूमि उपयोग इत्यादि की जानकारी शीघ्र प्राप्त की जा सकेगी। जी0आई0एस0 प्रणाली आधारित इस मैपिंग से नगरीय क्षेत्रों में अवैध निर्माणों/कालोनियों को नियमित किये जाने में संबंधित विभागों को सहायता मिलेगी।

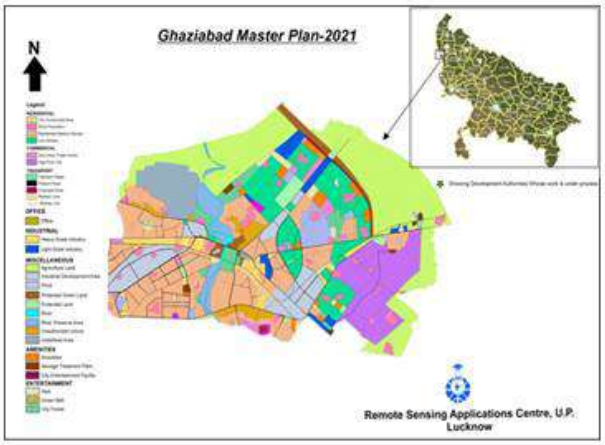

रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेंटर उत्तर प्रदेश के माध्यम से सम्बन्धित विभागों द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत परि-सम्पत्तियों की जियोटैगिंग का कार्य जा रहा है। जिसमें प्राधिकरण/आवास विकास परिषद आदि से सम्बन्धित परिसम्पत्तियों की जानकारी एक ही प्लेटफार्म पर कम्प्यूटर पर एक क्लिक के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इससे इन विभागों एवं शासन स्तर पर भविष्य की योजनाओं को प्रभावी ढंग से सम्पादित किये जाने में सहायता प्राप्त होगी।

रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेंटर उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से सम्बन्धित विभागों द्वारा विभिन्न आवासीय विभागों के लिए सम्पत्ति कर हेतु प्रत्येक भवन की मैपिंग एवं प्रापर्टी टैक्स संबंधी सर्वे के माध्यम से डाटा संग्रहण कर जी0आई0एस0 आधारित मानचित्र भी तैयार किये जा रहे हैं। इस मैपिंग प्रणाली से प्रत्येक भवन की जानकारी जैसे भवन संख्या/भवन मालिक का नाम/मोबाइल संख्या/कर सम्बन्धित सूचनाओं सृजन होगा, जिससे पोर्टल के माध्यम से सम्पूर्ण क्षेत्र संबंधी सूचनाएँ आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा प्राप्त की जा सकती है एवं इससे विभागीय तथा शासन स्तर पर आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही किये जाने में सहायता प्रदान मिलेगी।